

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 302/2018

GCMS No-2018/00468

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		भैरूसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपुत (विक्रेता व मालिक) मैसर्स भैरू हलवा वाला सुर्या कॉलोनी मैन रोड पाली नया गांव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006  
उपस्थित :-

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी।

-: निर्णय :-

दिनांक : 22.06.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वह वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 17.02.2018 को दौराने गश्त मैसर्स भैरू हलवा वाला सुर्या कॉलोनी मैन रोड पाली नया गांव पर गया। जहां पर प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया, विक्रेता भैरू सिंह की उपस्थिति में मैसर्स भैरू हलवा वाला सुर्या कॉलोनी मैन रोड पाली नया गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर आमजन की बिक्री हेतु खाद्य सामग्री खोया रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया कि वह खाद्य सामग्री खोया का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहे है। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खोया वास्ते जांच क्रय कर कीमत 360/- रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये खोया के चार नमूना पैक तैयार कर लेबल लगाया गया जिस पर नमुना क्रमांक आर-745 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं भी हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना पैक पर लेबल चिपकाया गया। प्रत्येक नमूना पैक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक आर-745 गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना पैक को धागे से बांध कर सीलमुहर किया, जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं चारों सीलबंद नमूना पैक जार को अपने कब्जे में लिया गया। प्रार्थी द्वारा मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया एवं हस्ताक्षर करने को कहा, विक्रेता एवं गवाहान ने पढकर, सुनकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई है। प्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुने को नियमानुसार सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को दिनांक 19.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं श्री किशोर पाण्डे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर मे दिनांक 19.02.2018 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3122-23 एवं जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/128/एक्ट/2018/145 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा मालूम हुआ की अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ खोया नमुना क्रमांक आर-745 का नमुना Sub-Standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म भैरू हलवा वाला सुर्या कॉलोनी मैन रोड पाली



नया गांव से लिया गया नमूना कोड आर-745 नमूना खाद्य पदार्थ खोया जो Sub Standard स्तर का पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस एवं लिखित जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मैसर्स भैरु हलवा वाला सुर्या कॉलोनी मैन रोड नया गांव पाली से लिया गया खाद्य सामग्री खोया का नमूना लेने हेतु कि गयी प्रक्रिया नियमानुसार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से खोया खरीदा ही नहीं गया था क्योंकि विक्रेता द्वारा बिक्री हेतु खोया बनाया ही नहीं जाता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से खोया का नमूना नहीं लिया गया था। इसलिए अप्रार्थी को दोष मुक्त कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.02.2018 को दौराने गस्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स भैरु हलवा वाला सुर्या कॉलोनी मैन रोड पाली नया गांव पर गये तो वहां पर अप्रार्थी भैरु सिंह उपस्थित मिले। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5-ए भरकर दिया तथा उनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की दुकान मैसर्स भैरु हलवा वाला सुर्या कॉलोनी मैन रोड पाली नया गांव से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2018 को अप्रार्थी की दुकान में आमजन को विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ खोया को जांच हेतु क्रय कर क्रयसुदा खोया को वास्ते नमूना लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-745 अंकित करके नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./128/एक्ट/2018/145 दिनांक 28.02.2018 में प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य सामग्री खोया जो Sub-Standard माना गया है, जो की अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 22.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली